पत्र संख्या–3/रा॰पु॰–639/2005 का॰ 4360 अ॰प्र॰पृ॰

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव, झारखंड
सभी विभागीय सचिव, झारखंड ।

रांची, दिनांक–19 दिसम्बर, 2005 ई॰

विषय :– **अंतिम संवर्ग विभाजन के उपरान्त पारस्परिक आधार पर राज्य स्थानांतरण के संबंध में ।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्रांक–14/279/2002 एस॰आर॰ (एस॰) दिनांक–15.09.2004 में निहित पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दिये गये मार्गदर्शन के आलोक में अंतिम रूप से संवर्ग विभाजन के उपरान्त पारस्परिक आधार पर राज्य कर्मियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर दोनों राज्यों द्वारा विचार करने हेतु दिए गये दिशा–निर्देश के आलोक में बिहार सरकार द्वारा कुछ नीतिगत सिद्धांत प्रतिपादित किये गये थे । झारखंड सरकार द्वारा उक्त सिद्धांतों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ज्ञापांक–3/रा॰पु॰–621/05 का॰–2375 दिनांक–21.07.2005 द्वारा आपको उससे अवगत कराया गया है (प्रति संलग्न) ।

उक्त सिद्धांतों के आलोक में दोनों ही राज्यों में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसे सभी विभागों द्वारा संवर्ग विभाजन हेतु नोडल विभाग होने के नाते इस विभाग को प्रेषित किया जा रहा है ।

चूंकि पारस्परिक राज्य स्थानांतरण के ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि झारखंड राज्य के संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग बिहार सरकार के गृह (विशेष) विभाग से पत्राचार कर ऐसे मामलों को निपटाये । इससे जहां एक ओर संबंधित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभागों को आपस में तालमेल कर शीघ्र निर्णय लेने में भी सुविधा होगी । अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारस्परिक आधार पर राज्य स्थानांतरण के मामले अब इस राज्य के सभी संवर्ग

नियंत्री विभाग अपने स्तर से बिहार सरकार से पत्राचार कर भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र में दिए गए दिशा-निर्देश एवं विभागीय ज्ञापांक-2375, दिनांक-21.07.2005 में निर्धारित मार्गदर्शन सिद्धांतों के आलोक में निष्पादित करेंगे । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग केवल वैसे ही पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक राज्य स्थानांतरण के मामलों पर विचार करेगा, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग के द्वारा होता है ।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह);
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-3/रा॰पु॰-639/2005 का॰ 4360/ रांची, दिनांक- 19 दिसम्बर, 2005 ई॰

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/ सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि पारस्परिक राज्य स्थानांतरण के मामले में इस राज्य के संबंधित विभाग से ही पत्राचार करने की कृपा की जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-3/रा॰पु॰-639/2005 का॰ 4360/ रांची, दिनांक- 19 दिसम्बर, 2005 ई॰

प्रतिलिपि- निदेशक (एस॰आर॰), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।